


(236)

(112)

व्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्रालियट म.प्र.

प्रकाश वर्षाव R. 816-II/13



C.F.
Rs 20/-

1-कामता प्रसाद विश्वकर्मा तनय छत्र.श्री यामाधार विश्वकर्मा निवासी महदेवा तहसील दृष्टियाजनगढ़ जिला अतना म.प्र.

2-यामाधार विश्वकर्मा (फौत)..... निगराकारण

बनाम

1-यामाश्रय बद्री तनय रामसेवक बद्री निवासी महदेवा तहसील दृष्टियाजनगढ़ जिला अतना म.प्र.

2-म.प्र.शासन द्वारा हल्का पटवाई बगहा तहसील दृष्टियाजनगढ़ जिला अतना म.प्र..... गैरनिगराकारण

निगरानी अन्वर्गत धारा 50का.मा.विश्व
आदेश अपर कलेकटर महोदय अतना के
प्रकरण क्र. 141/अपी./12-13में पाइत
आदेश दिनांक-06. 10. 112

माव्यवद,

(17)

उपरोक्त प्रदर्शन में निगराकारण द्वारा निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

संक्षिप्त तथ्य:-

निगराकारणों द्वारा अधीनस्थ अपर कलेकटर महोदय अतना के समक्ष अपील इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई थी कि श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय दृष्टियाजनगढ़ अतना के आदेश दिनांक 30.09.2011को आदाजी खसरा नं. 166व एकवा 0.21ए.तथा आदाजी नं. 167 एकवा 0.20ए.में म.प्र.शासन के स्थान पर अपका इकाई दुख्षस्त कराये जाने हेतु धारा

का/मो/धमादवीकु..... 2

S.R. 2011

दर्जनों एवं अधिकारी
जारी के हस्तालक

720
5.11.12

R. 816-II/13

अन्वरवाला अ/स 112
प्राप्ति दाता प्राप्ति
2011, दू. 5/11/12

11/11/12

FC
20.9.13

(112)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रावालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-आ

क्रमांक R.816-II/13 जिला- सतना

कामता प्रसाद विश्वकर्मा विरुद्ध रामाश्रय बदई

(1)	(2)	(3)
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री.....सतानन्द पाण्डु.....अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला.....सतना के प्रकरण क्रमांक ।५।/अपील/ २०१२-१३.....में पारित आदेश दिनांक ०६.१०.१२.....के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक २९.०३.१९.....को कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	